



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 46]

नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 28, 2014/माघ 8, 1935

No. 46]

NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 28, 2014/MAGHA 8, 1935

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 जनवरी, 2014

सं. 07/2014-सीमा शुल्क (गै.टै.)

**सा.का.नि. 66(अ).**—सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 11 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार इस बात से संतुष्ट होने पर कि ऐसा करना लोकहित में आवश्यक है, एतद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग की दिनांक 15 मई, 1984 की अधिसूचना सं. 152/84-सीमा शुल्क जो कि भारत के राजपत्र असाधारण भाग-II, खंड-3, उपखंड (i) में इसी तारीख को सं. सा.का.नि. 379(अ) के अंतर्गत प्रकाशित की गई थी, में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:—

उपर्युक्त अधिसूचना में, निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जाएगा, अर्थात्:—

“बशर्ते कि यह निषेध उस मशीनरी और उपस्कर के आयात पर लागू नहीं होगा जो भूटान में परियोजनाओं को लागू करने में प्रयोग में लाये जाने के लिए भारत के अलावा कित्ही अन्य देशों से भारत के रास्ते से भूटान को इन शर्तों के अध्यधीन निर्यात की गई थी कि:—

- आयातक, सीमा शुल्क सहायक आयुक्त अथवा सीमा शुल्क उपायुक्त के समक्ष गारंटी पत्र अथवा आयात बिल और अन्य दस्तावेज प्रस्तुत करता है जिनके आधार पर उपर्युक्त वस्तुओं को भारत के रास्ते भूटान में ले जाने के लिए मूल रूप से ट्रांजिट निकासी दी गई थी, और
- सीमा शुल्क सहायक आयुक्त अथवा सीमा शुल्क उपायुक्त वस्तुओं की पहचान के संबंध में संतुष्ट है।

[फा. सं. 554/02/2007-एलसी]

एम. सतीश कुमार रेड्डी, निदेशक (आईसीडी)

**टिप्पणी :** प्रधान अधिसूचना को दिनांक 15 मई, 1984 की अधिसूचना सं. 152/84-सीमा शुल्क सा.का.नि. 379(अ) दिनांक 15 मई, 1984 के अंतर्गत भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया गया था।

**MINISTRY OF FINANCE**  
**(Department of Revenue)**  
(CENTRAL BOARD OF EXCISE AND CUSTOMS)

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 28th January, 2014

**No. 07/2014-Customs (N.T)**

**G.S.R. 66(E).**—In exercise of the powers conferred by Section 11 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962) the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance, Department of Revenue, No.152/84-Customs, dated the 15th May, 1984, published in the Gazette of India, Extraordinary Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 379(E) dated the 15th May, 1984 namely:-

In the said notification, the following proviso shall be inserted, namely:-

“Provided that the prohibition shall not apply to import of machinery and equipment, which were exported to Bhutan from countries other than India through an Indian place of entry, for use in execution of projects in Bhutan, subject to the conditions that-

- i. The importer produces before the Assistant Commissioner of Customs or Deputy Commissioner of Customs the ‘Letter of Guarantee’ or the ‘Bill of Import’ and the other documents based on which the said goods were originally allowed transit clearance from the Indian place of entry to Bhutan, and
- ii. The Assistant Commissioner of Customs or Deputy Commissioner of Customs is satisfied regarding the identity of the goods.

[F.No.554/02/2007-LC]

M. SATISH KUMAR REDDY, Director (ICD)

**Note:**—The principal notification was published in the Gazette of India *vide* notification number 152/84-Customs, dated the 15th May, 1984, G.S.R. 379 (E), dated the 15th May, 1984.